

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.45/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमे जारी हुए
23.5.2023	<p>पत्रावली आज पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी सुभाष कुमार अग्रवाल पुत्र श्यामलाल अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- लुहारों का वास, गोयली, तहसील व जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अग्रसेन मार्केटिंग, लुहारों का वास, गोयली, तहसील व जिला- सिरोही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 28.1.2022 को फर्म अग्रसेन मार्केटिंग, लुहारों का वास, गोयली, तहसील व जिला- सिरोही में प्रतिवादी सुभाष कुमार अग्रवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (विमूल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1630 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./341/Act/2022/392 दिनांक 21.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया, जिस पर प्रतिवादी इस न्यायालय में दिनांक 18.5.2023 को उपस्थित हुआ एवं जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उसे पारिवारिक कार्य से बाहर गांव जाना है, जिससे वह सुनवाई दिनांक 19.5.2023 को उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना करावे व प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 28.1.2022 को फर्म अग्रसेन मार्केटिंग, लुहारों का वास, गोयली, तहसील व जिला- सिरोही में प्रतिवादी सुभाष कुमार अग्रवाल पुत्र श्याम लाल अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- लुहारों का वास, गोयली, तहसील व जिला- सिरोही से दुकान के अन्दर फर्श पर गत्ते के डिब्बे में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (विमूल ब्राण्ड) के 148 पैकड प्लास्टिक जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (विमूल ब्राण्ड) के 4 पैकड प्लास्टिक जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	



d
 जिला न्यायाधीश
 सिरोही-307001.



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.45/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलने जारी हुए
	<p>नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी (विमूल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1630 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./341/Act/2022/392 दिनांक 21.2.2022 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुभाष कुमार अग्रवाल ने खाद्य पदार्थ घी (विमूल ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नहीं किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सुभाष कुमार अग्रवाल ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (विमूल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (विमूल ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सुभाष कुमार अग्रवाल पुत्र श्री श्याम लाल अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- लुहारों का वास, गोयली, तहसील व जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अग्रसेन मार्केटिंग, लुहारों का वास, गोयली, तहसील व जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। प्रतिवादी सुभाष कुमार अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 21.6.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">a (के.आर. खौड़) प्रति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001.</p>	

